

फा. सं. 14-1/2018 कार्मिक.(विविध)  
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान  
17-बी, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016.


15, सितंबर, 2021

### परिपत्र

कार्यालय आदेश दिनांक 03.11.2020 और 27.04.2021 के क्रम में, यह सूचित किया जाता है कि कोविड-19 उपरांत के दौरान सभी केंद्रीय कार्यालय और संस्थाएं / संगठन अब 1 जुलाई 2021, से पूरी तरह से कार्यशील हैं।

संकाय सदस्य कोविड 19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे, जिसमें सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना, मुख मास्क को अनिवार्य रूप से लगाना, थर्मल स्कैनिंग और नियमित रूप से हाथ साफ करने / हाथ धोने का प्रावधान शामिल है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि गलियारे या बालकनियों में कोई भीड़ न हो।

अतः सभी संकाय सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें और आधिकारिक कार्य घंटों में उपस्थित रहें। यदि कोई संकाय सदस्य या उनके परिवार का कोई सदस्य कोविड 19 से संक्रमित हो जाए, तो उन्हें संस्थान की वेबसाइट/ स्टाफ कॉर्नर पर उपलब्ध दिनांक 08.10.2020 के परिचालित पत्र के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में "क्वारेन्टाइन लीव" या लागू छुट्टी की स्वीकृति प्रदान करने के लिए समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

  
(डा.संदीप चटर्जी)  
कुलसचिव 15/9/2021

- सभी संकाय सदस्य
- संस्थान के सभी कर्मचारीगण एवं अधिकारीगण

प्रति:

1. कुलपति के निजी सचिव
2. विभागों/केंद्रों/एककों/अनुभागों के सभी विभागाध्यक्ष
3. सूचना पट्ट/पुस्तकालय
4. सिस्टम एनलिस्ट - संस्थान की वेबसाइट पर परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ